भाग 'अ'
आर्थिक क्षेत्र

अध्याय–1
प्रस्तावना

(आर्थिक क्षेत्र)

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 इस अध्याय के सम्बन्ध में

यह अध्याय लेखापरीक्षित इकाइयों की रुपरेखा, आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्ति, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही, लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर की गयी वसूलियाँ एवं स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति दर्शाता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाइयों की रुपरेखा

उत्तर प्रदेश में कुल 84 में से 18 विभाग आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा इन विभागों का नेतृत्व किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्तों/निदेशकों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

वर्ष 2012–17 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति **लेखाचित्र–1** में दर्शायी गयी है।

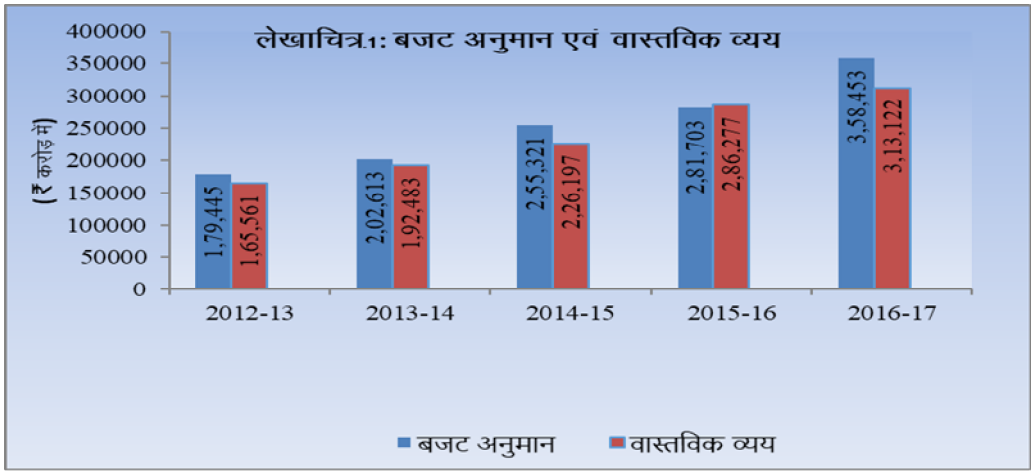

(**स्रोत** : संबंधित वर्षों के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन)

वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत पाँच प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति **तालिका 1.1** में दी गई है।

तालिका 1.1
आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभाग	2014-15	2015-16	2016-17
ऊर्जा	25,949.15	48,218.81	33,976.69[1]
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	2,940.97	3,080.27	6,296.11[2]
आवास एवं शहरी नियोजन	1,352.97	2,213.97	2,888.06
राजस्व (कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त)	2,567.23	2,495.16	2,721.56
वन	775.94	840.46	1,231.72

(**स्रोत** : संबंधित वर्षों के विनियोजन खाते)

---

1 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के लिये 2015–16 में ₹ 24,232.47 करोड़ एवं 2016–17 में ₹ 14,801.29 करोड़ व्यय किये गये।

2 पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के लिए 2016–17 में ₹ 2,882.25 करोड़ निर्गत किये गये।

1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2016–17 के दौरान, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश ने आर्थिक क्षेत्र से संबंधित 18 विभागों के अंतर्गत कुल 483 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 156 की अनुपालन लेखापरीक्षा की।

1.4 लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाईयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए चार चरण में अवसर प्रदान करता है, जैसे,

- **लेखापरीक्षा ज्ञापन** : लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किये जाते हैं, जिनका उत्तर उन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।
- **निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.)** : लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के एक माह के अंदर जारी किया जाता है, जिस पर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अंदर प्रत्युत्तर देना होता है।
- **ड्राफ्ट पैराग्राफ** : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनको शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अंतर्गत लेखापरीक्षित इकाईयां कार्य करती हैं, को छह सप्ताह के अंदर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।
- **समापन गोष्ठी** : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर विभाग/शासन के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभागाध्यक्षों एवं राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों/विभाग प्रमुखों/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा ठोस/स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है। हालांकि, ज्यादातर प्रकरणों में लेखापरीक्षित इकाईयां/विभाग समय पर एवं संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

1.4.1 निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.)

18 विभागों से संबंधित 483 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) को मार्च 2017 तक जारी नि.प्र. की विस्तृत समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2018 तक ठोस प्रत्युत्तर की प्रत्याशा में 1,501 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 5,396 प्रस्तर निराकरण हेतु लंबित थे। इनमें से, 134 नि.प्र. में शामिल 543 प्रस्तरों के प्रारम्भिक उत्तर डी.डी.ओ. द्वारा प्रस्तुत किये गये थे जबकि 1,367 नि.प्र. में शामिल 4,853 प्रस्तरों के सन्दर्भ में डी.डी.ओ. की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी।

लंबित नि.प्र. की स्थिति **तालिका 1.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.2
लंबित नि.प्र. एवं प्रस्तरों (31 मार्च 2017 तक जारी) की 31 मार्च 2018 को स्थिति

क्रं.सं.	अवधि	लंबित नि.प्र. की संख्या (प्रतिशत)	लंबित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2016-17	125 (8)	532 (10)
2	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	277 (19)	1,411 (26)
3	3 वर्षों से 5 वर्षों तक	334 (22)	1,164 (22)
4	5 वर्षों से अधिक	765 (51)	2,289 (42)
कुल		**1,501**	**5,396**

(**स्रोत**: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना)

वर्ष 2016–17 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की 28 बैठकें (लेखापरीक्षा समिति बैठकें) आयोजित की गईं, जिनमें 11 नि.प्र. और 274 प्रस्तरों का निराकरण किया गया।

1.4.2 निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षाएं

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 के लिए, चार लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर प्रारूप प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक सचिवों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेषित किये गये थे। जबकि तीन लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर उत्तर/प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं हैं, एक लेखापरीक्षा प्रस्तर का प्रत्युत्तर बार–बार स्मरण कराने के बावजूद अगस्त 2018 तक प्राप्त नहीं हुआ।

1.5 विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही

1.5.1 लंबित उत्तर

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यपालिका से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधानमण्डल में प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किया था (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 1.3** में दी गयी है।

तालिका 1.3
अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ[3] (31 अगस्त 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र/गैर पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (नि.ले.)/अनुपालन लेखापरीक्षा (अ.ले.) एवं प्रस्तर		नि.ले./अ.ले. एवं प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई	
		नि.ले./अ.ले.	प्रस्तर	नि.ले./अ.ले.	प्रस्तर
2012-13	1 जुलाई 2014	2	6	2	0
2013-14	17 अगस्त 2015	2	5	1	2
2014-15	8 मार्च 2016	4	4	4	4
2015-16	18 मई 2017	2	4	2	4
योग		**10**	**19**	**9**	**10**

(**स्रोत**: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना)

1.5.2 लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार–विमर्श

वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 29 लेखापरीक्षा प्रस्तर प्रस्तुत किये गये। इनमें से लो.ले.स. ने पाँच प्रस्तर विचार विमर्श और पाँच प्रस्तर लिखित उत्तर के लिए चुने। हालांकि, इन विचार–विमर्श किये गये प्रस्तरों के सम्बन्ध में कोई कृत–कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकन नोट) प्राप्त नहीं हुई है। अगस्त 2018 को लो.ले.स. के साथ विचार–विमर्श की विस्तृत स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है :

[3] वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, अतिरिक्त ऊजा स्रोत/गैर परम्परागत ऊर्जा विभाग, पर्यावरण, पर्यटन व सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग।

तालिका 1.4
लो.ले.स., उत्तर प्रदेश, विधानसभा द्वारा विचार–विमर्श की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लिए आर्थिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	29
लो.ले.स. द्वारा विचारविमर्श हेतु लिए गए (मौखिक चर्चा)	05
लो.ले.स. द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिए गए	05
लो.ले.स. द्वारा की गई अनुशंसा	शून्य
प्राप्त कृत–कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	अप्राप्त

(**स्रोतः** लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना)

1.6 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर की गयी वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों में तीन प्रकरणों में ₹ 18.19 करोड़ इंगित की गयी वसूली स्वीकार कर ली गयीं। इनमें से तीन प्रकरणों में ₹ 24.86 करोड़ की वसूली 01 अप्रैल 2016 से 31 दिसम्बर 2017 के दौरान सम्पन्न कर ली गयी जैसा कि **तालिका 1.5** में वर्णित है।

तालिका 1.5
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभाग द्वारा स्वीकार/वसूल कर ली गयी वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूली का विवरण	01 अप्रैल 2016 से 31 दिसम्बर 2017 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित एवं विभाग द्वारा स्वीकृत की गई वसूलियाँ		01 अप्रैल 2016 से 31 दिसम्बर 2017 के दौरान सम्पन्न वसूलियाँ	
		प्रकरणों की संख्या	सम्बद्ध धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्बद्ध धनराशि
वन विभाग	विविध	3	18.19	3	24.86
योग		**3**	**18.19**	**3**	**24.86**

(**स्रोतः** प्रगति रजिस्टर के अनुसार)

1.7 राज्य विधानमण्डल में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों की एक बड़ी संख्या में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा इनके लेन–देन, परिचालन सम्बन्धी गतिविधियों एवं लेखों, नियामक/अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबन्धन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा, इत्यादि के सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा की जाती है। इन स्वायत्त निकायों के शासी अधिनियमों/सरकारी आदेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार इन निकायों के लेखों एवं लेन–देनों के सम्बन्ध में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया जाना है और उसे सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल में रखा जाना है। राज्य में दो स्वायत्त निकायों[4] के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है।

[4] उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत किये गये वर्ष 2003–04 से 2015–16 की अवधि के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प्र.) अभी भी (अगस्त 2018) विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने है (**तालिका 1.6**)।

तालिका 1.6
राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत की जाने वाले लम्बित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को दर्शाती हुई विवरणी

क्रं0 सं0	स्वायत्त निकाय के नाम	वर्ष जब तक पृ.ले.प्र. विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया	विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं की गई पृ.ले.प्र. की स्थिति		पृ.ले.प्र. के न रखे जाने के कारण
			पृ.ले.प्र. के वर्ष	शासन को निर्गत करने की तिथि	
1	2	3	4	5	6
1	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उ.प्र.वि.नि.आ.)	स्थापना (2003–04) से कोई भी पृ.ले.प्र. विधानमंडल में नहीं रखा गया।	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	19 अक्टूबर 2006 5 अक्टूबर 2007 5 अक्टूबर 2007 3 अक्टूबर 2008 17 अगस्त 2009 15 अगस्त 2010 26 मई 2011 08 जून 2012 24 सितम्बर 2014 20 फरवरी 2015 22 जून 2015 28 दिसम्बर 2015 08 मई 2017	कारण उपलब्ध नहीं कराये गये।

(**स्रोतः** लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना)

शीघ्रातिशीघ्र इनको राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखना आवश्यक है ताकि इन निकायों को हस्तान्तरित किये गये कोष के लिए विधायी जिम्मेदारी स्थापित की जा सके।